बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

आदेश

बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम–4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (चतुर्थ) का आयोजन किया गया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त परीक्षा का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किये जाने के पश्चात सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु Counselling राज्य के सभी जिलों में दिनांक 06.02.2026 से 11.02.2026 की अवधि में कराया गया। उक्त Counselling में निम्नांकित 917 (नौ सौ सत्रह) शिक्षक अभ्यर्थी जिनका विवरण निम्नवत है की Counselling कतिपय कारणों से पूरा नहीं हो पाया :–

(i)	अनुपस्थित	–	244
(ii)	उपस्थित परन्तु Counselling नहीं करा सके अभ्यर्थी	–	04
(iii)	Doubtful प्रमाण पत्र / दस्तावेज वाले अभ्यर्थी	–	542
(iv)	प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी	–	127
			कुल–917

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में उक्त 917 (नौ सौ सत्रह) शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु राज्य के सभी जिलों में Counselling कराया जाना है। संदर्भित विभागीय आदेश में यह निदेशित है कि Counselling के लिए तिथि एवं टाईम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।

3. उक्त के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा (चतुर्थ) में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों जिनका विवरण कंडिका–1 में अंकित है की Counselling हेतु दिनांक 26.05.2026 की तिथि निर्धारित किया जाता है। Counselling पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ की जायेगी तथा यह निम्नांकित–5 टाईम स्लॉट में सम्पन्न होगी –

(i)	पहला स्लॉट	–	09:00 बजे से 10:30 बजे तक
(ii)	दूसरा स्लॉट	–	10:30 बजे से 12:00 बजे तक
(iii)	तीसरा स्लॉट	–	12:00 बजे से 01:30 बजे तक
(iv)	चौथा स्लॉट	–	01:30 बजे से 03:00 बजे तक
(v)	पाँचवा स्लॉट	–	03:00 बजे से 04:30 बजे तक

शिक्षक अभ्यर्थियों की Counselling संबंधित जिला के DRCC अथवा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।

4. **Counselling का यह अंतिम अवसर होगा।**

5. किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट में Counselling के लिए उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जायेगा तथा यह विभागीय बेवसाईट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित शिक्षक अभ्यर्थी को SMS के माध्यम से दी जायेगी।

6. Counselling के दौरान पारदर्शिता एवं शुचिता हेतु Biometric Verification (Thumb & Facial Verification), दस्तावेजों के मूल प्रतियों की जाँच कर संबंधित पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

7. शिक्षक अभ्यर्थी के आधार पर अंकित नाम के टाईटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाईटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाईटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जायेगा।

8. विभागीय आदेश ज्ञापांक 566 दिनांक 16.07.2024 द्वारा Counselling हेतु जारी अन्य महत्वपूर्ण अनुदेश यथावत रहेगा।

अनु0–यथोक्त।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

ज्ञापांक : 09/बि0वि0प0स0–03/2024 731 पटना, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपि : 1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक, नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।

E:\Sec.Edu\Office Order-R.319